न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01/21 वाद GCMS NO : 2021/00017

पूर्व प्रकरण संख्या : 12/15

1. दौलतसिह पिता खुम सिह जी मु. भँवर सिंह देवडा राजपुत,
2. श्री मनोहर सिंह पिता श्री भैरू सिह देवडा राजपुत,
3. श्री गजेसिह पिता भैरू सिह देवडा मृतक के बजाय :–
   3/1. श्रीमती मोहन बाई पत्नी स्व. श्री गजेसिह जी
   3/2. श्री कुबेर सिह पिता स्व. श्री गजेसिंह जी
   3/3. श्री मदन सिह पिता स्व. श्री गजेसिह जी
   सर्व निवासीयान – देबारी रामदेवजी का बाडा, तह. गिर्वा, उदयपुर (राज.)
   3/4. श्रीमती मीना कुँवर पत्नी श्री गजेंन्द्र सिह पुत्री स्व. श्री गजेसिंह जी,
   निवासी खोखरा फला देबारी, उदयपुर (राज.)
4. श्री सोहन सिह पिता श्री खुमसिह देवड़ा राजपुत
5. श्री गमेर सिह पिता श्री खुमसिह देवडा राजपुत
6. श्री गोविद सिह पिता श्री जयसिंह देवडा राजपुत
7. श्री महेन्द्र सिह पिता श्री जयसिह देवडा राजपुत
8. श्रीमती कंकु बाई बेवा जय सिह देवडा राजपुत
9. श्री देवी सिह पिता श्री गोपाल सिह देवडा राजपुत
10. श्री भगवत सिंह पिता श्री गोपाल सिंह देवडा राजपुत
11. श्री तखत सिह पिता श्री गोपाल सिंह देवडा राजपुत
12. श्री मोहन पिता श्री गोपाल सिह देवडा राजपुत

सर्व निवासीयान– देबारी तह. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)

.......प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री हिम्मत सिंह पिता श्री सुल्तान सिंह [illegible] राजपुत, मृतक के बजाय :–
   1/1. श्रीमती पारस कुँवर पत्नी स्व. श्री हिम्मत सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.25 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested

1/2. श्री भैरू सिंह पिता स्व. श्री हिम्मत सिंह
1/3. श्री किशन सिंह पिता स्व. श्री हिम्मत सिंह
1/4. श्री लाल सिंह पिता स्व. श्री हिम्मत सिंह
सर्व निवासी रामदेव का बाडा देबारी, तह. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
1/5 श्रीमती प्रेम कुँवर पत्नी श्री महेन्द्र सिह सोलंकी, पुत्री श्री स्व. श्री हिम्मत सिह देवडा, निवासी सोलकीयो का बाडा, मेडता डबोक, पोस्ट गुडली तह. मावली जिला उदयपुर (राज.)

2. श्रीमती सरसी बाई बेवा श्री सुल्तान सिह देवडा राजपुत
3. श्रीमती प्रताप बाई पिता श्री सुल्तान सिह जी देवडा राजपुत निवासीयान देबारी तह. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती मोहन देवी पत्नी श्री खेत सिह राजपुत, निवासी ढीकली तह. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा उदयपुर (राज.)
6. नगर विकास प्रन्यास जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

.......प्रतिवादीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 9 नियम 13 जा.दी.</u>

उपस्थितः– श्री हीरालाल कटारिया एवं श्री बजरग प्रसाद शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
श्री अरूण जैन अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3
श्री खेमराज डांगी व श्री दिनेश डांगी विपक्षी संख्या 1

निर्णय

दिनांक : 19.06.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा आप माननीय यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा प्रकरण संख्या 54/13 अनवान हिम्मतसिंह बनाम दौलतसिंह दिनांक 24.10.2013 को एकतरफा पारित किये गए निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि विपक्षी संख्या 1, 2 एवं 3 जो उपरोक्त प्रकरण मे जो वादीगण होकर हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 4, 5 व 6 के विरूद्ध एक वाद बाबत् कृषि भूमि जो मौजा देबारी तहसील गिर्वा में स्थित है, के सम्बन में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की दाद चाहने हेतु पेश किया गया था। वादीगण की नियत उक्त प्रकरण मे प्रारम्भ से ही बदयान्ती की रही थी। जिससे प्रोसेस सर्वर से मिली भगत करके नियत पेशी दिनांक 29–0 [illegible] बाबत् एक झूठी रिपोर्ट दिनांक 14–04–2013 को न्यायालय [illegible] कि प्रतिवादीगण सम्मन लेने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Birvi Punadia
Date: 2024.06.25 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested

से इन्कार है। जबकि हम प्रतिवादीगण को इस प्रोसेस सर्वर ने न तो कभी सूचना दी न वो हमारे पास कभी सम्मन लेकर ही आया न हमने लेने से इन्कार ही किया। जिस वसीयत के दस्तावेज के आधार पर वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत किया गया था वो अनस्टाम्पड एवं अन रजिस्टर्ड होने से माननीय न्यायालय आप द्वारा उक्त तामील को स्वीकार नही किया जाकर दिनांक 02–07–2013 को जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट के मय ए.डी. के सम्मन सभी प्रतिवादीगण के नाम पर पुनः भिजाने तथा विधिवत् तामील कराने का निर्देश दिया गया। माननीय न्यायालय आप द्वारा प्रदान किये गये उक्त आदेश की पालना में वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय आप द्वारा नियत पेशी दिनांक 23–07–2013 को सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये डाक रजिस्टर्ड पोस्ट से सम्मन नही भिजवाए जाकर केवल हम प्रार्थीगण के नाम के सम्मन ही न्यायालय मे पेश किये गये तथा ये सम्मन भी माननीय न्यायालय आप द्वारा जरिये डाक तामील हेतु नही भिजवाए जाकर बदयान्ती वश इनकी फर्जी तामील कराने हेतु वादीगण द्वारा न्यायालय आप से स्वयं प्राप्त किये गये । तथा हम प्रार्थीगण को जरिये डाक के नही भेजे जाकर उनके साथ संलग्न ए.डी. स्लीप पर हम सभी प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के फर्जी हस्ताक्षर करके न्यायालय आप मे पेश कर शामिल पत्रावली करा दी गई । जिससे माननीय न्यायालय आप द्वारा सम्मन की हम प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण पर तामील होना माना जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 के विरूद्ध दिनांक 17–09–2013 को एक पक्षीय कार्यवाही बाबत आदेश प्रदान कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 13 श्रीमती मोहन देवी पत्नी श्री खेत सिंह ढिकली के नाम का सम्मन ना तो वास्ते तामील हेतु पेश किया गया ना ही जरिये डाक उसको भिजवाया ही गया। उसकी कोई ए.डी. स्लीप भी पत्रावली पर मौजुद नहीं है। जिससे प्रतिवादी संख्या 13 के विरूद्ध प्रदान किया गया एक तरफा कार्यवाही बाबत् आदेश न्यायोचित नहीं है । माननीय न्यायालय आप द्वारा हम सभी प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के मय ए.डी. के सम्मन भिजवाए जाकर हमारी तामील कराने बाबत् जो आदेश फरमाया गया था । उसकी पालना कराने के मुत्तलिक जो ए.डी. स्लीप न्यायालय आप में पेश होकर पत्रावली पर मौजूद है उन पर न तो हम प्रार्थीगण के हस्ताक्षर है न ही अशिक्षित प्रार्थी श्री मोहन सिंह की निशानी ही मौजुद है। हम सभी 12 प्रार्थीगणो के इन ए.डी. स्लीप पर फर्जी हस्ताक्षर किये जाकर इन्हे न्यायालय में पेश किया गया है तथा न्यायालय आपको हमारे विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाने हेतु गुमराह किया गया है। न्यायालय आदेश की पालना मे न तो हमारे नाम के वादीगण द्वारा एनवल्प मय सम्मन के पेश ही किये गये है न डाकिया इन्हे लेकर कभी हमारे पास ही आया है न हमे ऐसे एनवलप कभी डिलीवर ही किये गये न उसके द्वारा हमसे ए.डी. स्लीप पर हस्ताक्षर ही कराए गये ना इन ए.डी. स्लीप पर पोस्ट ऑफिस की छाप है एवं ना डाकिये के हस्ताक्षर न सम्मन वाले एनवल्प डिलीवर करने बाबत् कोई रिपोर्ट । जिससे प्रकट है कि ये ए.डी. स्लीप फर्जी होकर कुट रचित है । जिनसे हम प्रार्थीगण पर सम्मन की तामील बाबत् सम्पन्न कराई गई कार्यवाही को विधि सम्मत नही माना जा सकता है । वादीगण द्वारा खस दु:साहस हमारे विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही चाहने की गरज से ऐसा किया गया है। जिससे हम प्रार्थीगण अपना पक्ष न्यायालय आपके समक्ष प्रस्तुत ही नही कर [illegible] जिस फर्जी वसीयत नामे के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.25 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested

आधार पर जो दाद हम प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण द्वारा चाही गई है तथा हम प्रार्थीगण के खातेदारी हक की भूमि को हडपने हेतु जो षडयन्त्र वादीगण द्वारा कतिपय अन्य लोगो से मिलीभगत करके रचा गया है उसको अन्जाम देने हेतु ही वादीगण द्वारा उक्त फर्जी ए.डी. स्लीप माननीय न्यायालय आपमे पेश करके तथा माननीय न्यायालय आपको गुमराह करके हमारे विरूद्ध उक्त एक पक्षीय कार्यवाही बाबत् आदेश जारी कराके दिनांक 24–10–2013 को एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री प्राप्त की गई है। श्री हिम्मतसिंह एवं पटवारी हल्का से उक्त जानकारी मिलते ही हमने तत्काल न्यायालय से नकले प्राप्त की, जो हमे दिनांक 09–07–2015 को प्राप्त हुई है। जिससे हम प्रार्थीगण को वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय आप में सम्पन्न कराई गई। उक्त कार्यवाही एवं हमारे विरूद्ध पारित किए गए निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–10–2013 की जानकारी सर्व प्रथम दिनांक 09–07–2015 को हुई है जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र जानकारी से नियत अवधि एक माह में पेश है तथा ताईद में शपथ पत्र भी पेश है । अतः निवेदन है कि हम प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हमारे विरूद्ध अमल में लाई गई उक्त एक पक्षीय कार्यवाही एवं पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–10–2013 को निरस्त कराया जावे।

विपक्षीगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर कथन किया गया कि वादीगण/विपक्षी नम्बर 1, 2 व 3 की उक्त प्रकरण में प्रारम्भ से बदयान्ति नहीं रही है। विपक्षीगण द्वारा प्रोसेस सर्वर से मिलीभगत करके पेशी दिनांक 29–04–2013 बाबत् झूठी रिपोर्ट न्यायालय में पेश नहीं की गई है, बल्कि प्रोसेस सर्वर ने सभी प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा सम्मन लेने से इन्कार करने पर अपनी रिपोर्ट दी है तथा प्रोसेस सर्वर ने अपनी हल्फिया रिपोर्ट की है एवम् वसीयत के दस्तावेज पर न तो स्टाम्प की आवश्यकता है, न रजिस्ट्री कराने की आवश्यकता है। न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही करने का आदेश पारित कर एकपक्षीय शहादत लेकर बहस अन्तिम सुनी गई व न्यायालय द्वारा न्यायहित में प्रतिवादीगण को पुनः सम्मन से तलब करने का आदेश दिया गया जिसकी पालना में प्रार्थीगण/विपक्षी नम्बर 1, 2 व 3 ने प्रतिवादीगण के सम्मन रजिस्टर्ड ए. डी. से भिजवाये जो प्रतिवादीगण को प्राप्त हो गये तथा रजिस्टर्ड ए.डी. से भेजे गये सम्मन प्रतिवादीगण को प्राप्त होने के बाद भी प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं आये जिससे एकतरफा बहस सुनी जाकर निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो विधिवत् है । प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड सम्मन प्राप्त हुए जिसका प्रमाण डाकघर देबारी द्वारा जारी किया गया है जो इस जवाब के साथ पेश है। प्रार्थीगण द्वारा यह कहना गलत है कि ए.डी. स्लिप पर प्रार्थीगण के हस्ताक्षर नहीं हो, बल्कि पोस्टमेन द्वारा प्रत्येक प्रतिवादीगण को सम्मन का रजिस्टर्ड लिफाफा देकर ए.डी. पर हस्ताक्षर लिये गये हैं। प्रतिवादीगण पर विधिवत् तामील हुई है इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण ने गलत आक्षेप लगाये हैं। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत वसीयत सही है व असल वसीयत को साबित कराया गया है जिस पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही नियमानुसार की गई है व एकपक्षीय डिक्री पारित की गई है जो विधिवत् है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.25 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण को इसे निरस्त कराने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण को विपक्षीगण में डिक्री व निर्णय की जानकारी प्रारम्भ से ही है तथा प्रार्थीगण द्वारा इसी हेतु राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने के लिए तारीख 26–6–2015 को तहसील भू अभिलेख कार्यालय में जमाबन्दी की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व नकलें तारीख 29–6–2015 को प्रार्थी दौलतसिंह द्वारा प्राप्त की गयी जो क्रमांक 357 पर दर्ज है। इसके अलावा भी दौलतसिंह जी ने पटवारी हल्का देबारी से तारीख 15–6–2015 को भी जमाबन्दी की नकले लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर नकले तारीख 15–6–2015 को तैयार कर दी गई है जो क्रमांक 73 पर दर्ज की गई है तथा ये नकले दौलतसिंह द्वारा प्राप्त कर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन नकलों से भी प्रार्थीगण को यह जानकारी हो गई थी कि डिक्री की पालना होकर प्रार्थीगण के नाम विवादित भूमि दर्ज हो गई है, लेकिन प्रार्थीगण ने इन तथ्यों को छिपाकर कथित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। लेकिन वादीगण ने अन्दर मयाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है व जानबूझकर जानकारी की तारीख 03–07–2015 व 09–07–2015 बताकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो मयाद बाहर है व मयाद के बिन्दु पर ही कथित प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का कथित प्रार्थना पत्र मय खर्चा निरस्त फरमाया जावे तथा एकपक्षीय कार्यवाही व पारित डिक्री व निर्णय बहाल रखाया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवम् सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जिसमें प्रार्थीगणों के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर, गिर्वा द्वारा जारी डिक्री दिनांक 24.10.2013 जिसमें प्रार्थीगण ने बताया कि यह डिक्री प्रार्थीगण को बिना सुने एकपक्षीय जारी की गई। जिसकों निरस्त कर पुनः नये सिरे से सुनवाई का अवसर देते हुए न्यायालय गुणावगुण आधार पर डिक्री जारी करें। विपक्षी ने बताया कि न्यायालय द्वारा 2 बार नोटिस तामिल कराई गई, जिसमें एक बार नोटिस लेने से मना किया एवम् दुसरी बार रजिस्टर्ड डाक से तामिल करायी गई। प्रार्थीगण ने बताया कि यह तामिल गलत तरीके से कराई गई जिसमें प्रार्थीगण को सूचना नहीं देकर प्रथम बार झूठी रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई एवं दुसरी बार में प्रार्थीगणों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए। इस कारण से सम्मन सम्यक रूप से तामिल नहीं हुए जिसके कारण हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर एकपक्षीय डिक्री को निरस्त की जावे।

हमने सिविल प्रक्रिया संहिता का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जिसमें बताया कि प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए यह समाधन कर देता है कि समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गयी थी या यह वाद की सुनवाई के में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहाँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.25 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested

तक लिये पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतूक से निवारित रहा था तो खचों के बारे में, न्यायालय डिक्री उस प्रतिवादी के विरुद्ध है वहाँ तक वह अपास्त कर दी जाये, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिये दिन नियत करेगा, परन्तु जहाँ डिक्री ऐसी है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध अपास्त नहीं की जा सकती वहाँ वह अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्हीं के विरुद्ध भी अपास्त की जा सकेगी। परन्तु यह और कि यदि किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की वह एकपक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी। आदेश 9, नियम 13 में एकपक्षीय डिक्री के अपास्त करने या निरस्त करने सम्बन्धी उपबन्ध किये गये हैं। एक पक्षीय डिक्री वहाँ भी मानी जायेगी जहाँ प्रतिवादी स्वयं उपस्थित नहीं है, उसका पैरोकार और अधिवकता उपस्थित है किन्तु कहते हैं कि उनके मुअक्किल (बसपमदज) का कोई निर्देश नहीं है, और डिक्री पारित कर दी गई है। एक पक्षीय डिक्री के अपास्त किये जाने का आधार प्रतिस्थापित तामील में की गई अनियमितता नहीं हो एक अजनबी एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिये आवेदन नहीं दे सकता। अन्तर्निहित अधिकार का प्रयोग (एक न्यायालय के द्वारा) एक अजनबी को अनुतोष प्रदान करने के लिये नहीं किया जा सकता। एकपक्षीय डिक्री को अपास्त (निरस्त) करने का आधार–जहाँ प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित की गई है वहाँ ऐसी डिक्री को अपास्त करने के लिये आवेदन देना होगा। यदि प्रतिवादी न्यायालय का समाधान कर देता है कि उसको समन की तामील सम्यक् रूप से नहीं की गई थी, तथा उसके न्यायालय में उपसंजात (उपस्थित) न होने के पर्याप्त कारण थे।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण के विरूद्ध पारित एक पक्षीय डिक्री जिसमें न्यायालय सहायक कलक्टर, गिर्वा द्वारा दो बार तामिल के आदेश जारी किए गए। जिसमें एक बार लेने से मना किया एवं एक बार रजिस्टर्ड एडी से तामिल कराई गई। उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में जारी एकपक्षीय डिक्री की अपील नहीं की गई। इस पत्रावली में प्रार्थीगण द्वारा यह आरोप लगाया गया कि तामिल में अनियमितता की गई। बसन्त सिंह बनाम रोमन कैथोलिक मिशन ए.आई.आर. 2002 पेज नम्बर 3557 जिसमें बताया कि एकपक्षीय डिक्री अपास्त किया जाने का आधार प्रतिस्थापित तामिल में की गई अनियमिता नहीं हो सकती है।

सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन बहस व दस्तावेजों से इस प्रार्थना पत्र में जिसमें एकपक्षीय डिक्री को निरस्त कराने का निवेदन किया। डिक्री दिनांक 24.10.2013 जिसमें प्रार्थीगण को दो बारा तामिल कराई गई। जिसमें की गई अनियमितता के कारण सम्यक् तामिल नहीं मानी जावे एवम् डिक्री निरस्त की जावे। माननीय न्यायालय द्वारा विनम्र अभिमत है कि तामिलों में अनियमितता के कारण डिक्री निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण के विरूद्ध जारी डिक्री की नियमानुसार सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 9 नियम 13 सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.25 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. एक तरफा पारित निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, गिर्वा द्वारा दिनांक 24.10.2013 प्रकरण संख्या 54/2013 के पारित निर्णय को निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.25 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.25 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested